प्रपत्र VII

आदेश–पत्र के लिए फार्मेट

(नियम 18 देखें)

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायालय न0–01 के न्यायालय

आन्दर **अप्राथमिकी सं0**–10/26 राज्य बनाम

R-3473/26

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

1. अभियुक्त का नाम – अफरोज अली
2. उम्र – 35 वर्ष
3. पिता का नाम – ईमान हसन
4. पता – महम्मदपुर थाना आन्दर जिला सिवान
5. गिरफ्तारी की तिथि समय और स्थान– 15-8-26 7:55 बजे महम्मदपुर
6. पुलिस / ~~उत्पाद पदाधिकारी~~ द्वारा जॉच रिपोर्ट समर्पित करने की तिथि– 16-8-26

पुलिस / ~~उत्पाद पदाधिकारी~~ द्वारा समपित उपर उल्लिखित जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया। आज **पुलिस** / ~~उत्पाद पदाधिकारी~~ द्वारा उक्त अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया है। मै एतद्द्वारा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–37 के अधीन संज्ञान लेता हूँ।

अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि उसने दिनांक–15-8-26 को अल्कोहल का उपभोग किया था और वह महम्मदपुर (स्थान) में पकड़ा गया। अभियुक्त की चिकित्सीय जॉच /**श्वसन विश्लेषण** करायी गयी जिससे सम्पुष्ट हुआ कि उसने अल्कोहल / **शराब** का उपभोग किया था।

उपर्युक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर समझाया गया। मैंने उसका बयान दर्ज किया है।

अभियुक्त से पूछा गया कि क्या वह दोषी होने का अभिवचन करता है।

उसने दोषी होने का अभिवचन किया है। मै प्रथम दृष्ट्या संतुष्ट हूँ कि उसके विरूद्ध आरोप सुआधारित है।

इसलिए अभियुक्त को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–37 के अधीन / 2000 /–रूपयें की राशि के भुगतान करने या उक्त जुर्माने की राशि के भुगतान में चूक होने पर **30** दिनों के कारावास भोगने का दंडादेश दिया जाता है।

तिथि 16.8.26

स्थानः सिवान

I/C **अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश न0–01,**
सिवान